## कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

प्रभू लाल, 5/171, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–92

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलेक्टर), दौसा वगै0

अपील सं0 63/2018

<u>निर्णय</u> दिनांक 24.12.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलेक्टर), दौसा/तहसीलदार लालसोट से दिनांक 07.08.2018 को सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलेक्टर), दौसा व तहसीलदार लालसोट को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलेक्टर), दौसा द्वारा उनके पत्रांक 1056 दिनांक 10.12.2018 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र तहसीलदार लालसोट के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए तहसीलदार लालसोट से जवाब लिया जावें। चूॅकि प्रकरण तहसीलदार लालसोट से संबंधित होने के कारण तहसीलदार लालसोट को इस कार्यालय के पत्रांक 5492 दिनांक 27.11.2018 द्वारा लिखा जाकर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच रिपोर्ट चाही गई थी। किंतु उनकी ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना/नकल लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, लालसोट को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा